भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 768
दिनांक 23 जुलाई, 2026

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क और प्राकृतिक गैस ग्रिड का विस्तार

768. **श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः**

श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में नेटवर्क का व्यापक क्षेत्रीय विस्तार सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस ग्रिड विस्तार योजना के अंतर्गत वितरण नेटवर्क के विस्तार से उद्योगों, घरों और विशेषकर अल्पसेवित क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में विस्तारित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अवसंरचना की भूमिका का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने वर्तमान प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी और जवाबदेही तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के संदर्भ में तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) एवं (ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) विभिन्न कम्पनियों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने और विस्तार करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। मार्च 2026 तक, पीएनजीआरबी ने पुरे देश मे राष्ट्रीय गैस ग्रिड के निर्माण के लिए लगभग 33,027 किलोमीटर के कॉमन कैरियर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को प्राधिकृत किया है। लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं।

पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत कॉमन कैरियर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं, का ब्यौरा अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) मार्च 2026 तक प्रचालित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क सितंबर 2014 में 15,340 किलोमीटर से बढ़कर मार्च 2026 तक 27,905 किलोमीटर हो गया है। पाइपलाइन का विस्तारित नेटवर्क गैस आपूर्ति के स्रोतों को मांग

केंद्रों से जोड़ता है और असेवित और अल्प-सेवित क्षेत्र सहित विभिन्न इलाकों में प्राकृतिक गैस की निर्बाध परिवहन को सुनिश्चित करता है इस तरह यह राष्ट्रीय ऊर्जा कनेक्टिविटी को मज़बूत करता है।

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड के विस्तार से नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क, उद्योग, विद्युत संयंत्र और घरों तक प्राकृतिक गैस की पहुँच में काफ़ी सुधार हुआ है। दिनांक 31.05.2026 तक, घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या 2013-14 में 22 लाख से बढ़कर वर्तमान मे लगभग 170 लाख हो गया है। इसके अलावा, प्राधिकृत कंपनियों ने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को समर्थित करने के लिए 8,936 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं और 22,256 उद्योग और 52,143 वाणिज्यिक कनेक्शन दिया है।

देश भर में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड के विस्तार से प्राकृतिक गैस के प्रयोग मे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जिसने कोयले और कच्चे तेल जैसे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम करने में अहम भूमिका निभाई है। देश में प्राकृतिक गैस की खपत 2014 में लगभग 138 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) से बढ़कर 2025 में लगभग 188 एमएमएससीएमडी हो गई है। पाइपलाइन और सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के साथ, गाड़ियों में परिवहन इंधन के रुप मे सीएनजी का प्रयोग (इसकी कम लागत और कम उत्सर्जन के कारण) बढ़ रहा है। इससे पेट्रोल और डीज़ल की मांग भी कम हुई है, जो कच्चे तेल से शोधित किए जाते हैं। इसी तरह, जो उद्योग पहले भट्ठी का तेल और डीज़ल पर निर्भर थीं, वे भी प्रगतिशील रूप में प्राकृतिक गैस (मुख्य रूप से पाइप्ड प्राकृतिक गैस के रूप में) की ओर स्थानांतरित रही हैं।

सीएनजी स्टेशनों और पीएनजी कनेक्शनों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ड़) देश भर में (महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों सहित) संचालित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार संबंधित राज्य सरकारों और क्रियान्वित एजेंसियों के साथ लगातार समीक्षा और समन्वय करती है जिसका उद्देश्य भूमि के 'उपयोग का अधिकार' (आरओयू) हासिल करने, वन और पर्यावरण संबंधी अनुमतियां लेने, तथा नदियों, नहरों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों आदि को पार करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने जैसी चुनौतियों का समाधान करना है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग' द्वारा 22.09.2021 को 'राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली' (एनएसडब्ल्यूएस) का शुभारंभ किया गया था जो हितधारकों को समस्याओं की पहचान करने और आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। पाइपलाइन और सीजीडी अवसंरचना के विकास के लिए, कंपनियां एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर मंजूरी और अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकती हैं। 'नो योर अप्रूवल्स' (केवाईए) मॉड्यूल में 32 केंद्रीय विभागों और 35 राज्यों के लिए मार्गदर्शन शामिल है।

सरकार ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, नामक एकीकृत योजना का शुभारंभ किया है। जो व्यक्तियो, सामान और सेवाओं के निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कमियों को दूर करेगा। इसका उदेश्य जीवन-स्तर को आसान बनाना, व्यापार करने की सुगमता, रुकावटों को कम करना और कम लागत में प्रभावी तरीके से कार्य को पूरा करना है।

हाल ही में, देश भर में पाइपलाइन अवसंरचना, विशेषकर सीजीडी का निर्धारित समय-सीमा मे विस्तार करने के लिए आवश्यक वस्तु कानून, 1955' के तहत 24.03.2026 का एक व्यापक नियंत्रण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 'मार्ग का अधिकार' (आरओडब्लू) और अनुमोदन देने के लिए एकीकृत ढांचा तैयार करता है जिसमें मंज़ूरी के लिए सख्त समय-सीमा तय की गई है, देरी होने पर 'मान्य अनुमोदन' की व्यवस्था है और सरकारी अधिकारियों द्वारा बिना अधिकार के कोई भी शुल्क लगाने पर रोक लगाई गई है। यह आदेश बिना भेदभाव के और निर्धारित समय-सीमा मे मंज़ूरी सुनिश्चित करके रिहायशी और निजी इलाकों में पाइपलाइन बिछाने से संबंधित समस्या का समाधान करता है।

अनुलग्नक-I

'प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क और प्राकृतिक गैस ग्रिड का विस्तार' के संबंध में दिनांक 23.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 768 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएनजीआरबी द्वारा अधिकृत कॉमन कैरियर नेचुरल गैस पाइपलाइन (दिनांक की स्थिति के अनुसार 31.03.2026)

क्र. सं.	प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के नाम	इकाई	ऑथराइज़्ड लंबाई (कि.मी.)	जिन राज्यों से पाइपलाइन गुज़रती है
1.	असम क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	8	असम
2.	कावेरी बेसिन नेटवर्क	गेल	240	पुडुचेरी और तमिलनाडु
3.	हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर -जीआरईपी (गैस पुनर्वास और विस्तार परियोजना)-दहेज-विजयपुर एचवीजे/वीडीपीएल	गेल	6,169	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड
4.	दहेज-विजयपुर (डीवीपीएल) -विजयपुर-दादरी (जीआरईपी) अपग्रेडेशन डीवीपीएल 2 और वीडीपीएल			
5.	काकीनाडा-हैदराबाद- उरण - अहमदाबाद (पूर्व पश्चिम पाइपलाइन)	जनहित याचिका	1,459	आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक
6.	दहेज-उरण-पनवेल-दाभोल	गेल	920	गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
7.	केजी बेसिन नेटवर्क	गेल	878	आंध्र प्रदेश
8.	गुजरात क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	609	गुजरात
9.	अगरतला क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	55	त्रिपुरा
10.	दादरी-पानीपत	आईओसीएल	132	हरियाणा और उत्तर प्रदेश
11.	मुंबई क्षेत्रीय नेटवर्क	गेल	129	महाराष्ट्र
12.	उरान-ट्रॉम्बे	ओएनजीसी	24	महाराष्ट्र
13.	उच्च दाब गुजरात गैस ग्रिड	जीएसपीएल	2,860	गुजरात
14.	हजीरा-अंकलेश्वर (एचएपीआई)	जीजीएल	73	गुजरात
15.	कम दबाव वाला गुजरात गैस ग्रिड	जीएसपीएल	58	गुजरात
16.	शहडोल-फूलपुर	आरजीपीएल	312	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
17.	असम क्षेत्रीय नेटवर्क	एजीसीएल	105	असम
18.	दुकली-महाराजगंज	गेल	5.2	अगरतला
19.	उरण-तलोजा	डीएफपीसीएल	42	महाराष्ट्र
20.	चैनसा-झज्जर-हिसार	गेल	455	हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली
21.	दादरी-बवाना-नांगल	गेल	921	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड , दिल्ली और हिमाचल प्रदेश
22.	एन्नोर - नेल्लोर	जीटीआईएल	220	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
23.	काकीनाडा-विजयवाड़ा-नेल्लोर	आईएमसी	667	आंध्र प्रदेश
24.	कनाई - छाता - पानीतर	एचपीपीएल	317	पश्चिम बंगाल
25.	हजारीबाग -रांची	आईओसीएल	71	झारखंड
26.	गुरदासपुर -जम्मू	गेल	160	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर
27.	कोच्चि- कन्याकुमारी - थूथुकुडी	आईओसीएल	425	तमिलनाडु
28.	मेहसाणा भटिंडा	जीआईजीएल	1,943	गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब
29.	भटिंडा - गुरदासपुर	जीआईजीएल	261	पंजाब

30.	मल्लावरम - भोपाल - भीलवाड़ा - विजयपुर	जीआईटीएल	1,881	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना , महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात
31.	दाभोल - बैंगलोर	गेल	1,414	महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा
32.	कोच्चि- कूट्टनद -बैंगलोर-मंगलोर	गेल	1,104	केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी
33.	एन्नोर-तूतीकोरिन	आईओसीएल	1,431	तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी
34.	जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो धमरा-पारादीप - बरौनी-गुवाहाटी	गेल	3,546	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा , असम
35.	उत्तर-पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड	आईजीजीएल	1,688	असम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम, पश्चिम बंगाल
36.	मुंबई-नागपुर -झारसुगुड़ा	गेल	1,755	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा
37.	श्रीकाकुलम-अंगुल	गेल	690	आंध्र प्रदेश, ओडिशा
कुल			**33027.2**	

स्रोत: पीएनजीआरबी

पाइपलाइन डेटा जवाबों में इस्तेमाल की गई शब्दावली/संक्षिप्त रूप

संक्षेपाक्षर	**पूर्ण प्रपत्र**
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
एनजीपीएल	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
एमएमएससीएमडी	मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन
के.एम.	किलोमीटर
केन्द्र शासित प्रदेशों	केंद्र शासित प्रदेश
गेल	गेल (इंडिया) लिमिटेड
जनहित याचिका	पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
आईओसीएल	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ओएनजीसी	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
जीएसपीएल	गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड
जीजीएल	गुजरात गैस लिमिटेड
आरजीपीएल	रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड
एजीसीएल	असम गैस कंपनी लिमिटेड
डीएफपीसीएल	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अनुलग्नक-II

'प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क और प्राकृतिक गैस ग्रिड का विस्तार' के संबंध में दिनांक 23.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 768 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

देश भर में सीएनजी स्टेशन और पीएनजी कनेक्शन की राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से जानकारी (दिनांक 31 मई , 2026 की स्थिति के अनुसार)

31.05.2026 तक राज्यवार डेटा				
	पीएनजी कनेक्शन			सीएनजी स्टेशन
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	घरेलू कनेक्शन (संख्या)	वाणिज्यिक कनेक्शन (संख्या)	औद्योगिक कनेक्शन (संख्या)	सीएनजी स्टेशन (संख्या)
आंध्र प्रदेश	2,98,111	717	89	242
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
असम	78,455	1,606	488	46
बिहार	3,29,808	389	63	251
चंडीगढ़	34,175	274	98	10
छत्तीसगढ	20,845	2	16	73
दादरा और नगर हवेली	15,194	73	69	6
दमन और दीव	5,868	140	69	6
दिल्ली	19,60,727	4,931	1,898	458
गोवा	20,455	108	59	15
गुजरात	37,23,179	24,764	5,875	1,064
हरियाणा	6,03,123	2,050	3,165	608
हिमाचल प्रदेश	14,359	70	18	26
झारखंड	1,96,415	317	42	159
कर्नाटक	6,11,203	1,012	509	520
केरल	1,59,687	391	49	254
मध्य प्रदेश	3,36,953	910	708	428
महाराष्ट्र	47,42,692	6,408	1,456	1,324
मणिपुर	-	-	-	-
मेघालय	-	-	-	4
मिजोरम	-	-	-	-
नागालैंड	-	-	-	-
ओडिशा	1,90,551	285	11	159
पुडुचेरी	121	1	4	15
पंजाब	1,43,031	1,134	401	307
राजस्थान	5,44,070	783	1,920	499
सिक्किम	-	-	-	-
तमिलनाडु	1,40,756	238	147	506
तेलंगाना	2,64,701	243	219	246
त्रिपुरा	71,344	567	48	30
जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश	-	-	-	3
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	23,06,333	4,461	4,650	1,375
उत्तराखंड	95,496	223	175	57
पश्चिम बंगाल	1,62,123	46	10	245
कुल योग	**1,70,69,775**	**52,143**	**22,256**	**8,936**

स्रोत: पीएनजीआरबी
